राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक : एफ. 165(13)/पंरावि/लेखा/एफ.एफ.सी./निष्पादान/2017–18/ 9723-34 जयपुर,दिनांकः 30-01-2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/
अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद–समस्त।

विषयः– 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को कार्य निष्पादन अनुदान (Performance Grant) के संशोधित दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतवार सूचना बाबत।

प्रसंगः– विभागीय पत्र क्रमांक एफ. 165 (13)/परावि/लेखा/एफ.एफ.सी/निष्पादन/2017–18/9242 दिनांक 12.01.2018, 9479 दिनांक 19.01.2018, 9495 दिनांक 22.01.2018 तथा भारत सरकार के पत्रांक 11011/4/2017–FD दिनांक 19.01.2018।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विभागीय संशोधित दिशा–निर्देशों दिनांक 12.01.2018 के क्रम में लेख है कि दिनांक 19.01.2018 को पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार की विडियों कॉन्फ्रेंस से प्राप्त निर्देशानुसार दिनांक 31.01.2018 तक निष्पादन अनुदान की ग्राम पंचायतवार सूचना भारत सरकार को भिजवाया जाना है। इसी क्रम में विभाग द्वारा आयोजित दिनांक 22.01.2018 की विडियों कॉन्फ्रेंस में भी आपको अवगत करवा दिया गया है। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 11011/4/2017–FD दिनांक 19.01.2018 द्वारा पुनः अवगत करवाया गया है कि 14वें वित्त आयोग अन्तर्गत निष्पादन अनुदान की सूचना दिनांक 31.01.2018 तक प्रेषित की जानी है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में 14वां वित्त आयोग अन्तर्गत निष्पादन अनुदान राशि के ग्राम पंचायतवार दावे के लिए आपकी क्षेत्राधिकार वाली ग्राम पंचायतों की सूचना संलग्न निर्धारित परिशिष्ट–1 एवं 4 में दिनांक 31.01.2018 तक विभागीय ई–मेल आई.डी. **rajpr.fa@rajasthan.gov.in** पर आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करावें।

निर्धारित दिनांक 31.01.2018 तक ग्राम पंचायतवार निष्पादन अनुदान की सूची प्रेषित नही करने पर 14वें वित्त आयोग अन्तर्गत निष्पादन अनुदान की राशि अप्राप्ति हेतु आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

वित्तीय सलाहकार

क्रमांक : एफ. 165(13)/पंरावि/लेखा/एफ.एफ.सी./निष्पादान/2017–18/ 9725-28 जयपुर,दिनांकः 30-01-2018
प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज।
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त को प्रेषित कर निर्देश है कि उक्त दिशा निर्देशों की प्रति आपके अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावें।
3. अधीक्षण अभियन्ता (प्रो.), मुख्यालय।
4. ऐनालिस्ट कम प्रोग्रामर, पंचायती राज विभाग विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।

वित्तीय सलाहकार

ffc/Latters
670